PUBLIC NOTICE

In compliance of the relevant provisions of the CSERC (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff Principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2015, Bharat Aluminium Company Limited (BALCO) has filed a Petition (No. 13 of 2023) before Hon'ble Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC), for determination of energy charge rate of the 4x300 MW Coal Based Power Project at Village-Risda of Tehsil Korba in Korba District, Chhattisgarh for FYs 2021-22, for the procurement of 5% of net generated power by Chhattisgarh State Power Distribution Co. Ltd.

M/s BALCO, has requested for approval of energy charge rate of Rs. 2.910/unit for FY 2021-22, along with approval for reimbursement of statutory charges, duties and taxes on actual basis, interest on working capital, actual filing and publication fees and other related charges/variable charges as may be applicable from time to time subject to the provision of applicable regulation.

Persons intending to file Objections / suggestions in this regards may submit the same to Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur – 492001 (CG) , Email - cserc.sec.cg@nic.in and with a copy to Head, Power Sale, Administration Building, 2nd Floor, Balco Nagar, Korba (Chhattisgarh)-495684 within 21 days of publication of this notice.

Copy of this notice and the petition are also available on the Commission's website www.cserc.gov.in . Hardcopy of the aforesaid petition is available on any working day between 11 AM to 4 PM in the Commission office on payment of Rs 500/-. The copy of the petition may also be obtained by post an additional payment of Rs 100/- towards postal expenses. Notice for hearing on aforesaid petition shall be published by CSERC in the newspaper separately.

M/s Bharat Aluminium Company Limited (BALCO) Ltd.
P.O. – Balco Nagar, Korba (CG)

आमसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया एवं निबंधन एवं षर्तें) विनियम, 2015 के अन्तर्गत मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) को अपने 4 x 300 मेगावॉट ताप विद्युत संयंत्र जो ग्राम रिसदा, कोरबा में स्थित से वित्तीय वर्ष 2021–22 में विक्रय किए गए 5% षुद्ध उत्पन्न ऊर्जा की ऊर्जा प्रभार दर के साथ–साथ अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति के अनुमोदन हेतु आयोग के समक्ष याचिका क्रं. 13/2023 प्रस्तुत की है।

याचिकाकर्ता द्वारा उक्त याचिका वर्ष 2021–22 के ऊर्जा प्रभार दर रू.2.910/यूनिट के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा कर और यथाप्रयोज्य ड्युटी आदि, कार्यषील पूंजी पर ब्याज, आवेदन दाखिल करने का वास्तविक षुल्क एवं प्रकाषन व्यय के भुगतान हेतु भी निवेदन किया गया है।

उपरोक्त याचिका पर सुझाव/आपत्ति इस आम सूचना के प्रकाषन के 21 दिवस के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर–492001 एवं/या हेड सेल्स, एडमिनिस्ट्रेषन बिल्डिंग, द्वितीय तल, बालको नगर, कोरबा–495684 (छ0ग0) के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है।

उपरोक्त याचिका की प्रति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन सिंचाई कालोनी शांति नगर रायपुर 492001 के कार्यालय में उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवसों में रूपये 500/– का भुगतान कर पूर्वान्ह 11:00 से सांयः 4:00 के बीच प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रूपये 100/– (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर उपलब्ध है। सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जावेगी।

मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको),
पो.ऑ.–बालको नगर, कोरबा (छ.ग)